

## 22 राज्यों ने राष्ट्रपति ट्रम्प के "बर्थ सिटिज़नशिप" विरोधी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी

इन राज्यों व सिविल राइट्स ग्रुप्स द्वारा दायर मुकदमों में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों को लांघा है, यह आदेश जारी करते हुए, क्योंकि अमेरिका के संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है

-डॉ. सतीश मिश्रा-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जनवरी। अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर डेमोक्रेटिक रूढ़ान वाले राज्यों के गठबंधन और सिविल राइट्स ग्रुप्स ने अमेरिका की नागरिकता के जन्म आधारित अधिकार को खत्म करने की योजना के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। ट्रम्प के पद ग्रहण और कार्यकारी आदेश जारी करने के कुछ देर के भीतर ही कई मुकदमे दर्ज हो गए। उन्हें उम्मीद है इससे अमेरिकन इमिग्रेशन को स्वरुप बदल जाएगा।

पहले दो केस तो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज फ़ूनिशन, जो एक इमिग्रेशन ऑर्गनाइजेशन है, तथा एक गर्भवती मां ने ट्रम्प द्वारा आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही दिनों के भीतर दायर कर दिए थे। इससे उनके प्रशासन की पहली कानूनी लड़ाई की शुरुआत

■ प्रतिवर्ष 1,50,000 बच्चे अमेरिका में जन्म लेते हैं तथा राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने "एज़ीक्यूटिव" आदेश इन बच्चों का, अमेरिका में जन्म लेने के कारण, स्वतः (ऑटोमैटिक) ही अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार खत्म कर दिया है।

■ संविधान में संशोधन करके, "बर्थ राइट नागरिकता" का अधिकार खत्म किया जा सकता है। पर, दोनों सदनों, हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व सीनेट में यह संशोधन विधेयक दो तिहाई मतों से पारित होना जरूरी है तथा तीन चौथाई राज्यों को भी इस संशोधन विधेयक को पारित करना अनिवार्य है।

■ पर, रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट में विपक्ष में 47 मतों के मुकाबले 53 मत प्राप्त हैं तथा हाऊस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 215 के मुकाबले 220 मत प्राप्त कर बहुमत पाया है। अतः ट्रम्प के पास पर्याप्त वोट नहीं है, संशोधन पारित कराने के लिये।

हो गई है।

दो अन्य मुकदमे 22 राज्यों, जो डेमोक्रेटिक रूढ़ान के हैं, ने तथा कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट और सैनफ्रांसिस्को शहर ने किए हैं। ये केस बांस्टन और सिप्टल के फेडरल कोर्ट्स में दायर किए गए हैं। इन केसों में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं और अमेरिका की धरती पर जन्मे लोगों को नागरिकता देने से इनकार करके अमेरिका के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। मैसाचुसेट्स की एटॉर्नी जनरल एंड्रिया जॉय कैम्पबेल ने कहा, अगर ट्रम्प का आदेश को कायम रहने की अनुमति दी गई तो इससे डेढ़ लाख से ज्यादा बच्चे अमेरिकन नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। अमेरिका में हर साल औसतन डेढ़ लाख बच्चे जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा राष्ट्रपति को यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाँचवीं की छात्रा से अश्लीलता करने वाले बस चालक को 7 साल की सजा

जयपुर, 22 जनवरी। जिले की पाँचवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल से घर छोड़ने के दौरान उससे अश्लीलता करने वाले स्कूल बस के चालक को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी कैलाश अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि 57 साल के अभियुक्त ने दस साल की पीढ़िता के साथ उसकी लज्जा भंग करने के उद्देश्य से अश्लीलता की। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

■ पाँचवां मामले की विशेष अदालत ने स्कूल बस चालक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने 5 मई, 2023 को पीढ़िता के चाचा ने अमरसर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी भतीजी निजी स्कूल में पाँचवीं कक्षा में पढ़ती है। बोते दिन जब वह स्कूल से वापस आ रही थी तो सभी सवारियों के उतरने के बाद वह बस में अकेली रह गई। इस दौरान बस चालक ने उसे पानी की बोतल पकड़ने के बहाने अपने पास बुलाया और उसके साथ अश्लीलता की। जब पीढ़िता तिल्ललाई तो अभियुक्त ने उसे छोड़ दिया। इस पर पीढ़िता ने घर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## 'शेख हसीना को नहीं सौंपना "एक्सट्रैडिशन संधि" का उल्लंघन है'

बाँग्लादेश ने भारत पर दबाव बनाना जारी रखा, पूर्व प्र.मंत्री शेख हसीना को बाँग्लादेश सरकार को सौंपने के लिये

-श्रीनन्द झा-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जनवरी। बाँग्लादेश, भारत पर तयोरियाँ चढ़ा रहा है। अंतरिम सरकार के विधि सलाहकार आसिफ नसरूल ने दृढ़ता के साथ कहा है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से भारत का इनकार दोनों देशों के बीच के वर्तमान प्रत्यर्पण समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि देश की अंतरिम सरकार शेख हसीना को बाँग्लादेश वापस लाने के प्रयास जारी रखेगी।

नसरूल ने यहाँ तक कहा कि अगर जरूरी हुआ तो अंतरिम सरकार इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की माँग करेगी।

हसीना के भारत आने के बाद, भारत-बाँग्लादेश संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। बाँग्लादेश में हिन्दू मंदिरों में तोड़फोड़ और वहाँ रहने वाले हिन्दुओं पर हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं और भारत में भी बदले की कार्यवाही की रिपोर्ट मिल रही हैं। पिछले महीने हिंदू ऐक्टिविस्टों की

■ "अगर भारत ने हमारी माँग स्वीकार नहीं की तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप कराने के लिये प्रयास करेंगे।"

पीडू अगरतला में बाँग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर परिसर में जबरदस्ती घुस गई और वहाँ भारी तोड़फोड़ की। इसके बाद, बाँग्लादेश में भारत-विरोधी प्रदर्शन और अधिक तेज एवं हिंसक हो गये।

शेख हसीना बाँग्लादेश में छात्रों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद, बाँग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं और तब से वे यहाँ रह रही हैं। छात्रों द्वारा बड़े पैमाने पर किये गये उग्र आंदोलन के कारण 16 वर्ष पुरानी अवामी लीग सरकार गिर गई थी। बाँग्लादेश के इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हसीना, उनके मंत्रिमंडल के बहुत से साथियों, सैन्य एवं सिविल अधिकारियों के खिलाफ, "मानवता के

विरुद्ध एवं जातिसंहार के अपराधों" को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिये थे। ढाका ने गत वर्ष एक कूटनीतिक नोट भी नई दिल्ली भेजा था।

दोनों देशों के बीच के कूटनीतिक तनाव के कम होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। पिछले सप्ताहों में, दोनों देशों ने एक दूसरे के हाई कमिश्नर लगाने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि भारतीय व्यापारियों ने भी बाँग्लादेश के साथ व्यापार रोक दिया है तथा माल का आवागमन बंद हो गया है। भारतीय अस्पताल भी पड़ोसी देश से आने वाले मरीजों को वापस लौटा रहे हैं।

बाँग्लादेश के हिंदू सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास की चर्चागर्ब में हुई गिरफ्तारी को लेकर भारतवासी बहुत उद्बिग्न हैं तथा भारत के अनेक नगरों में इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तथा उनकी रिहाई की माँग हो रही है।

## कोटा में एक ही दिन में दो कोचिंग विद्यार्थियों ने आत्महत्या की

जनवरी में हुई 6 आत्महत्याओं में 5 जेईई स्टूडेंट थे तथा 1 लड़की नीट यूजी की तैयारी कर रही थी

कोटा, 22 जनवरी (निसं)। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को कोटा में एक कोचिंग छात्र और एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये दोनों मामले जवाहर नगर थाना क्षेत्र के हैं। साल के प्रथम महीने का में ही आत्महत्या के 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 स्टूडेंट्स जेईई और एक नीट यूजी की तैयारी कर रहा था।

बुधवार को हुई कोचिंग स्टूडेंट आत्महत्या के पहले मामले में मृतक छात्रा मेडिकल एंट्रेंस एज़ाम की तैयारी कर रही थी। गुजरात निवासी छात्रा गत 5 महीनों से राजीव गांधी नगर में बतौर पीजी में रह रही थी। पीजी के मालिक ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी सुबह लगभग 10 बजे तब मिली, जब मैस वाला कमरे में गया और पाया कि छात्रा का कमरा अभी भी बंद है। इसके बाद, उन्होंने किसी को भी कमरे की ओर जाने से रोक दिया और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। जवाहर नगर थाना

■ **मैडिकल एंट्रेंस एज़ाम की तैयारी कर रही छात्रा गुजरात की रहने वाली थी। जेईई की तैयारी करने वाला छात्र असम निवासी था।**

पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पाया कि छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है। इस संबंध में उसके परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम व आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि छात्रा नीट यूजी की तैयारी कर रही थी।

फिलहाल घटना के पीछे क्या कारण हैं, यह पता नहीं चला है। इस संबंध में जांच की जाएगी। मकान मालिक के भाई के अनुसार, छात्रा पास में स्थित कोचिंग से तैयारी कर रही थी।

वह पिछले पांच महीनों से उनके भाई के मकान में पीजी रूम लेकर रह रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि छात्रा मंगलवार रात को नीचे बच्चों के साथ काफी देर तक खेली भी थी। वह बहुत खुश नजर आ रही थी और उसने बच्चों को चॉकलेट भी खिलाई थी। सिक्वोरिटी गार्ड ने भी रात को छात्रा की पूरी तरह से जांच की थी, लेकिन अगले दिन सुबह यह घटना घटित हो गई।

कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या की दूसरा मामला असम के छात्र का है, जो कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जे.ई.ई. मेंन्स की तैयारी कर रहा था। यह घटना महावीर नगर फस्ट के सामने स्थित हॉस्टल की है। छात्र की मां बुधवार को असम से कोटा पहुंचीं और छात्र के हॉस्टल रूम पर आई थीं। हॉस्टल में रूम का दरवाजा खटखटया तो उसने नहीं खोला। इसके बाद हॉस्टल संचालक व लोगों को बुलाया गया। जब दरवाजे को खोला गया तथा उसे निजी अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ट्रेनी एसआई की फील्ड पोस्टिंग रोकने के आदेश में दखल नहीं देंगे'

जयपुर, 22 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती-2021 में एकलपीठ की ओर से दिए गए यथा-स्थिति और फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगाने के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश चैतन्य सिंघल व अन्य की ओर से दायर अपील को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि एकलपीठ

■ **हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि जब एकल पीठ सुनवाई कर रही है, उसके आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं।**

मामले में सुनवाई कर रहा है। ऐसे में इस स्तर पर एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाना उचित नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने अपीलार्थियों को कहा है कि वे एकलपीठ के समक्ष दस फरवरी तक अपना जवाब पेश करें। इसके अलावा अदालत ने एकलपीठ को कहा है कि वह मामले की सुनवाई जल्दी पूरी करें। अपील में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने हेतु जमानत देने पर मतभेद रहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच में

अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समस्त प्रस्तुत किया जाएगा, उनकी राय के लिए

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 22 जनवरी। दिल्ली दंगों के केस में आरोपी ताहिर हुसैन द्वारा दायर याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की दो जजों की बेंच ने विभाजित निर्णय दिया है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये उन्हें अंतरिम जमानत दिये जाने की माँग की थी।

जहाँ जस्टिस पंकज मिथल ने याचिका खारिज कर दी, वहीं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने हुसैन को अंतरिम जमानत मंजूर कर दी। निर्णयों की भिन्नता को ध्यान में रखते हुये, रजिस्ट्रार को निर्देश दिये गये कि वे इस प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें, ताकि यह प्रकरण किसी तीसरे जज को, या फिर बड़ी बेंच को सौंपा जाये। जस्टिस पंकज मिथल तथा अहसानुद्दीन अमानुल्लाह से मिलकर बनी बेंच हुसैन की स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई कर रही थी, जिसमें

■ **जमानत देने से इनकार करने वाले जस्टिस पंकज मिथल का तर्क था कि देश में सालभर चुनाव चलते हैं, इसलिए हर चुनाव में किसी क्रिमिनल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई तो कानून की धजियाँ उड़ जाएंगी।**

■ **जमानत देने का समर्थन करने वाले दूसरे न्यायाधीश ए. अमानुल्लाह ने कहा कि कथित आरोपी काफी समय से जेल में है, अतः जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।**

■ **ज्ञातव्य है कि ताहिर हुसैन, जो पूर्व आप पार्षद हैं, कथित रूप से पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मुख्य आरोपी हैं।**

दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था तथा दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये पचा भरने हेतु केवल "कस्टडी पैरोल" मंजूर की थी। ज्ञातव्य है कि ताहिर हुसैन 2020

नामांकन पत्र दाखिल करने के लिये कस्टडी पैरोल मंजूर करके चुनाव लड़ने के अधिकार की रक्षा की गई है। जस्टिस मिथल ने कहा कि इस आधार पर अंतरिम जमानत देने से ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि हर अन्डरट्रायल आरोपी इस आधार पर अंतरिम जमानत माँगा।

उन्होंने कहा कि प्रचार के लिये अंतरिम जमानत पर रिहा करने का मतलब होगा, आरोपी को घर-घर जाकर प्रचार करने की तथा उस क्षेत्र में जनसभाएं करने की अनुमति देना, जहाँ अपराध हुआ था तथा जहाँ गवाह रहते हैं। इस प्रकार, आरोपी के गवाहों से मिलने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी। वह उन्हें प्रभावित कर सकता है।

चार्जशीट में आरोपी पर गंभीर आरोप लगाये गये हैं तथा उनके घर/कार्यालय की छत का उपयोग अपराधों के केन्द्र के रूप में हुआ था। जस्टिस मिथल ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश में चुनाव का

जमानत देने से इनकार करने वाले जस्टिस पंकज मिथल का तर्क था कि देश में सालभर चुनाव चलते हैं, इसलिए हर चुनाव में किसी क्रिमिनल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी गई तो कानून की धजियाँ उड़ जाएंगी।

जमानत देने का समर्थन करने वाले दूसरे न्यायाधीश ए. अमानुल्लाह ने कहा कि कथित आरोपी काफी समय से जेल में है, अतः जमानत देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

ज्ञातव्य है कि ताहिर हुसैन, जो पूर्व आप पार्षद हैं, कथित रूप से पूर्वोत्तर दिल्ली के दंगों के दौरान आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मुख्य आरोपी हैं।

ट्रक टिपर से टकराकर गहरी घाटी में गिरा, 11 की मौत

यालापुरा, 22 जनवरी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के यालापुरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ गुलापुरा में सब्जी ले जा रहा ट्रक नियंत्रण खो बैठने के बाद एक टिपर से टकरा गया और 50 मीटर गहरी घाटी में गिर गया। जिसमें ट्रक के परखच्चे

■ **ट्रक में फल विक्रेता मेलों में फल बेचने जा रहे थे। ट्रक 50 मीटर गहरी घाटी में गिरा।**

उड़ गए। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं। ये हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस सब्जी के ट्रक में वे लोग यात्रा कर रहे थे, वह बुधवार तड़के 50 मीटर गहरी घाटी में गिर गया। पीड़ित, सभी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ट्रम्प के महत्वाकांक्षी, नारेबाजी पूर्ण भाषण के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियां उभरने लगी हैं बड़े देशों के बीच

तुरन्त ही चीन के राष्ट्रपति शी व रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने "वर्चुअल" मीटिंग आयोजित कर विशेष मैत्रीपूर्ण संबंधों को पुनः सार्वजनिक रूप से दोहराया

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 22 जनवरी। डॉनल्ड ट्रम्प के हाई डेसिबल उद्घाटन भाषण ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। नए राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों के अंदर ही वो घटनाएं घटने लगी हैं, जो अवश्यंभावी थीं। रूस और चीन ने अपना "असौम्य मित्रता" सेशन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने अपने गहरे रणनीतिक और रक्षा संबंधों की पुष्टि की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने नए वैश्विक वातावरण पर विचार विमर्श किया। उनके रिश्तों की इस मजबूत पुष्टि ने यह

■ **इसका नतीजा यह निकला कि ट्रम्प कुर्सी संभालते ही यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के अपने वादे को नहीं निभा पा रहे। ट्रम्प ने कहा, यूक्रेन बातचीत कर समझौते को तैयार है, पर, पुतिन आगे नहीं बढ़ रहे। ट्रम्प ने यूक्रेन को नये आधुनिकतम हथियार देने की बात भी कही।**

■ **ट्रम्प अब चीन को मनाने का भी प्रयास कर रहे हैं, कि चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रूस को बातचीत के लिये टेबल पर लाये।**

■ **दूसरी ओर शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद अमेरिका ने क्वाड देशों (भारत, जापान, आस्ट्रेलिया व अमेरिका) की अहम बैठक आयोजित की। क्वाड देशों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी इन देशों को मजबूती से साथ रखने के लिए है, चीन के बढ़ते दबाव के जवाब में।**

दर्शाया है कि इनमें से किसी एक देश के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई तो दूसरे देश की तरफ से भी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार, राष्ट्रपति

डॉनल्ड ट्रम्प को यूक्रेन मुद्दे पर रूस के खिलाफ कदम उठाने में मुश्किल हो सकती है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने

रूसी समकक्ष से दक्षिण चीन सागर, ताइवान या दुनिया के अन्य हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थितियों से निपटने में समर्थन मिल सकता है।